

LATEST EDITION



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

HANDWRITTEN
NOTES



बिहार उपनिरीक्षक

BIHAR POLICE SUBORDINATE SERVICES COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग-3 भारत एवं बिहार का भूगोल + राजव्यवस्था



बिहार उपनिरीक्षक (SI)

BIHAR POLICE SUBORDINATE SERVICES COMMISSION

भाग - 3

भारत एवं बिहार का भूगोल + राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “बिहार पुलिस उपनिरीक्षक (SI)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को BIHAR POLICE SUBORDINATE SERVICES COMMISSION (BPSSC)” द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “बिहार पुलिस उपनिरीक्षक (SI)” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/paxqem>

Online Order करें - <https://shorturl.at/hitzF>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

भारत का भूगोल

<u>क्र. सं.</u>	<u>अध्याय</u>	<u>पेज न.</u>
1.	सामान्य परिचय	1
2.	आकार एवं विस्तार	2
3.	भारत का भौतिक विभाजन	5
4.	भारत का अपवाह तंत्र नदियाँ एवं झीलें	28
5.	मृदा	41
6.	भारत की जलवायु	42
7.	भारत में वन एवं वनस्पति	54
8.	भारत में कृषि एवं सिंचाई	60
9.	भारत में प्रमुख खनिज संसाधन	66
10.	ऊर्जा संसाधन	71
11.	भारत के प्रमुख उद्योग	78
12.	परिवहन एवं संचार	88
13.	भारत की जनगणना	97

	<u>बिहार का भूगोल</u>	
1.	भौगोलिक आकृति एवं विस्तार	101
2.	बिहार में मृदा संसाधन	108
3.	बिहार का अपवाह तंत्र	111
4.	बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन	118
5.	बिहार में अनुसूचित जाति	121
6.	बिहार में वन, वन संपदा तथा वन्य जीव अभ्यारण्य	124
7.	बिहार का जलवायु तंत्र	127
8.	बिहार में कृषि एवं पशुपालन	130
9.	बिहार में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएँ	135
10.	बिहार की जनगणना 2011	138
	<u>भारतीय राज व्यवस्था</u>	
1.	राजव्यवस्था का परिचय	142
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	151
3.	सम्पूर्ण अनुच्छेद	155
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना)	168

5.	संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र	172
6.	नागरिकता	174
7.	मौलिक अधिकार	176
8.	राज्य के नीति निर्देशक तत्व	186
9.	मूल कर्तव्य	191
10.	राष्ट्रपति	193
11.	उपराष्ट्रपति	209
12.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	212
13.	भारतीय संसद	219
14.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय	232
15.	संविधान संशोधन	240
16.	केन्द्र - राज्य संबंध	244
17.	विभिन्न आयोग • निर्वाचन आयोग • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक • नीति आयोग • केंद्रीय सतर्कता आयोग • संघ लोक सेवा आयोग	247

	• केंद्रीय सूचना आयोग • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	
18.	जम्मू-कश्मीर राज्य	268
19.	पंचायती राज	272
	<u>बिहार की राजव्यवस्था</u>	
1.	राज्यपाल	279
2.	बिहार विधानसभा	283
3.	विधानपरिषद्	285
4.	मंत्रिपरिषद्	288
5.	महाधिवक्ता	293
6.	लोकायुक्त	293
7.	बिहार में प्रमुख आयोग • राज्य निर्वाचन आयोग:- • बिहार मानवाधिकार आयोग • राज्य महिला आयोग • बिहार लोक सेवा आयोग • बिहार कर्मचारी चयन आयोग • न्यायपालिका	294
8.	प्रशासनिक व्यवस्था	300
9.	स्थानीय स्वशासन	303

अध्याय - 2

आकार एवं विस्तार

- आर्यों की भरत नाम की शाखा अथवा महामानव भारत के नाम पर हमारे देश का नामकरण भारत हुआ।
- प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण यह आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था।
- ईरानियों ने सिन्धु नदी के तटीय निवासियों को हिन्दू एवं इस भू-भाग को हिन्दुस्तान का नाम दिया।
- रोम निवासियों ने सिन्धु नदी को इण्डस तथा यूनानियों ने इण्डोस व इस देश को इण्डिया कहा। यही देश विश्व में आज भारत के नाम से विख्यात है।
- भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा तीन ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्द्ध में पड़ता है।
- भारत का अक्षांशीय विस्तार $8^{\circ}4'$ उत्तरी अक्षांश से $37^{\circ}6'$ उत्तरी अक्षांश तक है।

- भारत का देशान्तर विस्तार $68^{\circ}7'$ पूर्वी देशान्तर से $97^{\circ}25'$ पूर्वी देशान्तर तक है।
- भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. (1269219.34 वर्ग मील) है।

कर्क रेखा अर्थात् $23\frac{1}{2}^{\circ}$ उत्तरी अक्षांश हमारे देश के लगभग मध्य से गुजरती है यह रेखा भारत को दो भागों में विभक्त करती है (1) उत्तरी भारत, जो शीतोष्ण कटिबन्ध में फैला है तथा (2) दक्षिणी भारत, जिसका विस्तार उष्ण कटिबन्ध है।

- भारत सम्पूर्ण विश्व का लगभग $1/46$ वाँ भाग है।
- क्षेत्रफल के अनुसार रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में 7वाँ स्थान है।
- यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग $1/5$, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का $1/3$ तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का $2/5$ है।



कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, प. बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम हैं।

NOTE- राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला व मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में तथा शेष राज्यों की राजधानियाँ दक्षिण में स्थित हैं।

NOTE - मणिपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक उत्तर में स्थित है।

प्रश्न:- निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ?

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) त्रिपुरा | (2) मणिपुर |
| (3) मिजोरम | (4) झारखण्ड |

उत्तर :- (2)

NOTE- कर्क रेखा राजस्थान से न्यूनतम व मध्यप्रदेश से सर्वाधिक गुजरती है।

- भारत की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किमी. तथा पूर्व से पश्चिमी तक 2933 किमी. है।
- भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटरेखा की कुल लम्बाई 7,516.6 कि.मी है जबकि स्थलीय सीमा की लम्बाई 15,200 किमी. है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किमी. है।

भारत की तटीय / समुद्री सीमा = तट रेखा की लम्बाई 7516.6 मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किमी. है।

कुल राज्य = 9 [i. पश्चिमी तट के राज्य- गुजरात (राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा), महाराष्ट्र, गोवा (राज्यों में सबसे छोटी तट रेखा), कर्नाटक व केरल ii. पूर्वी तट के राज्य प. बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु]

कुल केंद्र शासित प्रदेश = अंडमान निकोबार (सर्वाधिक), लक्षद्वीप, दमन व दीव तथा (न्यूनतम) पुद्दुचेरी

- भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।

देश की चतुर्दिक् सीमा बिन्दु

- दक्षिणतम बिन्दु - इन्दिरा प्वाइंट (ग्रेट निकोबार द्वीप)
- उत्तरी बिन्दु- इन्दिरा कॉल (लद्दाख)
- पश्चिमी बिन्दु- गोहर माता (गुजरात)
- पूर्वी बिन्दु- किबिथु (अरुणाचल प्रदेश)
- मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा- कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन (तमिलनाडु)

स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य

पाकिस्तान (4)	गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
अफगानिस्तान(1)	लद्दाख
चीन (5)	लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
नेपाल (5)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम
भूटान (4)	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश

- भारत का आकार जापान से नौ गुना तथा इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है।
- जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
- विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है जबकि विश्व की लगभग 17.5% (वर्ष 2011 के अनुसार) जनसंख्या भारत में रहती है।
- भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिन्द महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है।
- भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) तथा पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) है।
- प्रायद्वीप भारत (मुख्य भूमि) का दक्षिणतम बिन्दु - कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन (तमिलनाडु) है।
- भारत का सुदूर दक्षिणतम बिन्दु - इन्दिरा प्वाइंट (ग्रेट निकोबार में है)।
- भारत का उत्तरी अन्तिम बिन्दु- इंदिरा कॉल (लद्दाख) है।
- भारत का मानक समय (Indian Standard Time) इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। जिसका देशान्तर 82°30' पूर्वी देशान्तर है। (वर्तमान में मिर्जापुर) यह ग्रीनविच माध्य समय (GMT) से 5 घण्टे 30 मिनट आगे है। यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों क्रमशः उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्रप्रदेश है।
- कर्क रेखा व मानक रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में एक दुसरे को काटती है।

- प्रमुख दर्रे - जोजीला दर्रा, बुजिल दर्रा, बरालाच्छा दर्रा
- 2. **कुमायूँ हिमालय :-** कुमायूँ हिमालय का विस्तार सतलज नदी व काली नदी के मध्य है इसका पश्चिमी भाग "गढ़वाल हिमालय" तथा पूर्वी भाग "कुमायूँ हिमालय" गंगा यमुना आदि।
प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ - नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनागिरी तथा गंगोत्री आदि
प्रमुख हिमनद - गंगोत्री, यमुनोत्री आदि
- 3. **नेपाल हिमालय :-** इसका विस्तार काली नदी व तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। इसका अधिकांश विस्तार नेपाल में होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल के अतिरिक्त इसका विस्तार तिब्बत, सिक्किम, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में भी है।
 - नेपाल हिमालय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व ऊँचाई के आधार पर भी सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है।
 - नेपाल हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊँची छोटी माउन्ट एवरेस्ट स्थित है।
 - अन्य पर्वत चोटियाँ - कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी अन्नापूर्णा हैं।
- 4. **असम हिमालय :-** इसका विस्तार क्षेत्र तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है।
प्रमुख पर्वत चोटियाँ - नामचा बरवा, कुल्लू कांगड़ी आदि।

हिमालय के प्रमुख दर्रे

1. पश्चिमी हिमालय के दर्रे :-

काराकोरम :-

यह काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तर में स्थित है इसकी ऊँचाई 5000 मी. है और भारत के लद्दाख को चीन के शिंजियांग प्रान्त से मिलाता है।

जम्मू - कश्मीर के दर्रे-

बनिहाल दर्रा -

यह जम्मू से श्रीनगर जाने का नवीन मार्ग प्रदान करता है। इस दर्रे में भारत की सबसे लम्बी सुरंग चेनारी नासिरी सुरंग (9.2 किमी. वर्तमान में नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी) व जवाहर सुरंग (2531 मी.) स्थित है।

पीरपंजाल दर्रा-

जम्मू से श्रीनगर

जोजिला दर्रा-

श्रीनगर से कारगिल

लद्दाख के दर्रे-

फातुला दर्रा-

कारगिल से लेह

खारदुंगला दर्रा-

लेह से नुब्रा घाटी यह विश्व का सबसे ऊँचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा था (18380 फीट) लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे ऊँचा मोटरसाहन चलाने योग्य दर्रा उमलिंगा दर्रा (19300 फीट) है।

चांगला :- यह लद्दाख को तिब्बत से मिलाता है, यह शीत ऋतु में हिमपाद के लिए बंद रहता है।

लानक ला :- लद्दाख के चीन अधिकृत अक्साई चीन में स्थित है और तिब्बत की राजधानी तथा लद्दाख के बीच सम्पर्क बनाता है।

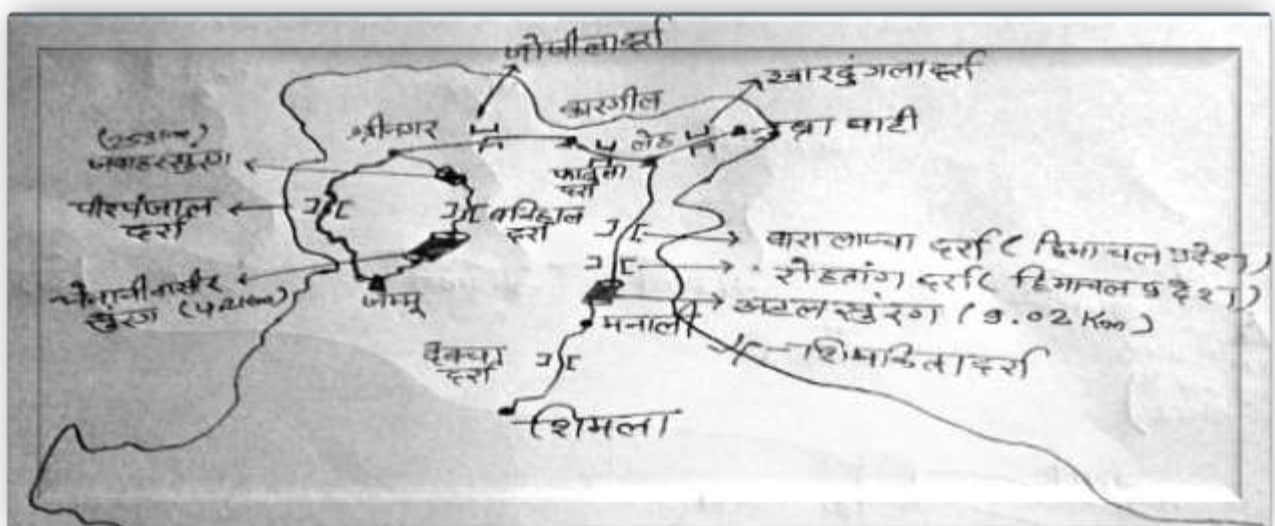
हिमाचल प्रदेश के दर्रे-

बरालाचा ला :- यह मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है इसी से मनाली - लेह सड़क गुजरता है। यह शीत ऋतु बंद रहता है

रोहतांग :- यह हिमाचल के लाह और स्पीति के बीच में संपर्क बनाता है इसी से मनाली - लेह सड़क गुजरता है। इस पर अटल सुरंग (9.02) स्थित है।

शिपकी ला :- हिमाचल प्रदेश को चीन से मिलाता है

देबचा दर्रा- मनाली से शिमला



उत्तराखंड के दर्रे

लिपुलेख : - यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस पर उत्तराखंड, चीन, और नेपाल के ट्राई - जंक्शन स्थित है। इसी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सम्पन्न होता है।

माना : - यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है जो बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूर स्थित है।

नीति : - यह भी उत्तराखंड और तिब्बत के जोड़ता है जो नवम्बर से लेकर मई तक बंद रहता है।

2. पूर्वी हिमालय के दर्रे :-

सिक्किम के दर्रे

नाथू ला : - यह सिक्किम (भारत) - चीन सीमा पर स्थित है जो लगभग 4310 मी. की ऊँचाई पर है। यह

प्राचीन 'सिल्क मार्ग' का अंग था और यहाँ से भारत एवं चीन के बीच व्यापारिक संबंध थे। भारत - चीन युद्ध (वर्ष 1962) के बाद इसे बंद कर दिया गया था लेकिन वर्ष 2006 को पुनः खोल दिया गया है।

जेलेप ला : - यह सिक्किम - भूटान सीमा पर स्थित है और चुम्बी घाटी द्वारा सिक्किम को ल्हासा (तिब्बत) से जोड़ता है।

अरुणाचल प्रदेश के दर्रे

बोम-डि-ला बुमला यांग्याप दर्रे : - यह तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के पठार से जोड़ते हैं।

पान्गसांड : - यह भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है।



इंडो तिब्बत थ्रस्ट (IT THARST)	ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग
मुख्य केन्द्रीय दरार (MCT)	महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग

मुख्य सीमांत दरार (MBT)	मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग
हिमालयन फ्रंट फॉल्ट (HFF)	शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदान से अलग

- ये क्षेत्र अपेक्षाकृत उच्च होते हैं इन प्रदेशों में कंकड़ युक्त चूनें वाली मृदा पाई जाती है।
- इन्हें पंजाब में 'धायी' कहते हैं।

रेह या कल्लर -

- बांगर प्रदेशों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर एक नमक की परत आ जाती है जिसे रेह तथा 'कल्लर' कहते हैं।

भूड -

- बांगर प्रदेशों में जब ऊपर की चिकनी मिट्टी नष्ट हो जाए तथा कंकड़ युक्त मृदा शेष बचे तो ऐसी मृदा को भूड कहते हैं।

गोखरु झील

- नदी में जल की आवक अधिक होने या कभी कभी बाढ़ के कारण नदी अपने मोड़दार मार्ग को छोड़कर सीधी

गमन करने लगती है तब नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में गाय के खुर के समान झील का निर्माण हो जाता है उसे गोखरु झील कहते हैं।

डेल्टा -

- जब नदी अपने मुहाने के निकट पहुँचती है तो ढाल कम होने के कारण नदियों का प्रवाह मंद हो जाता है जिससे नदी कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है (गणितीय आकृति त्रिभुज के समान) जिसे डेल्टा कहते हैं।
- डेल्टा शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या हेरोडोटस ने नील नदी के संदर्भ में की थी।

उत्तरी मैदानों को प्रादेशिक विभाजन



पंजाब - हरियाणा का मैदान

- इसे सतलुज का मैदान भी कहा जाता है।
- यह मैदान 650km लम्बा तथा 300 km चौड़ा है।
- इस मैदान में रावी, व्यास, सतलुज नदियाँ बहती हैं।
- ढाल- उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम
- इस क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित दोआब

बारी दोआब	रावी और व्यास नदी के मध्य
बिस्त दोआब	व्यास और सतलुज नदी के मध्य

चाइ दोआब	झेलम और चिनाब नदी के मध्य
रिचना दोआब	रावी और चिनाब नदी के मध्य

अध्याय - 8

भारत में कृषि एवं सिंचाई

- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। एक ओर जहाँ यह भारत की अधिकांश जनसंख्या को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर यह भारतीय जलवायु (Indian Climate), मृदा एवं अन्य संस्थागत कारकों से भी प्रभावित होती है।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है। अभी भी यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण कृषि पर निर्भर है।
- यद्यपि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का अंशदान वर्ष 1951 में 53.1% से घटकर वर्ष 2014-15 में 17.5% तक पहुँच गया, फिर भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 54.6% जनसंख्या के रोजगार का स्रोत है।
- भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. है, उसके 40.5 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत में कृषि पद्धतियों एवं फसलों में भी विविधता दिखाई देती है।
- औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और उपलब्धि भी कृषिगत कच्चे माल पर ही निर्भर करती है।
- स्थानिक तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र का 55% से अधिक प्रतिवेदित क्षेत्र (Reported Area) शुद्ध बुआई क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। कृषि की दृष्टि से ये देश के अग्रणी क्षेत्र हैं।
- भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं।
- भारतीय कृषि का महत्त्व निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है
 1. सर्वाधिक रोजगार का साधन
 2. उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति
 3. राष्ट्रीय आय का साधन
 4. विदेशी मुद्रा की प्राप्ति
 5. पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन
 6. यातायात संसाधनों का विकास
- **भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं**
 1. जनसंख्या की निर्भरता
 2. मानसून पर निर्भरता
 3. सिंचाई की सुविधाओं का अभाव
 4. प्रति हेक्टर कम उत्पादन
 5. चारा फसलों की कमी
 6. कृषि जोतों का छोटा आकार
 7. खाद्यान्नों की प्रधानता
 8. फसलों की विविधता

- **भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएँ**
 1. भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार
 2. भूमि का असन्तुलित वितरण
 3. कृषि की न्यून उत्पादकता
 4. मौसम की मार, कभी अति वृष्टि, अनावृष्टि
 5. किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण
 6. कृषि व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में है।
 7. सिंचाई के साधनों का सीमित विकास

• कृषि के प्रकार

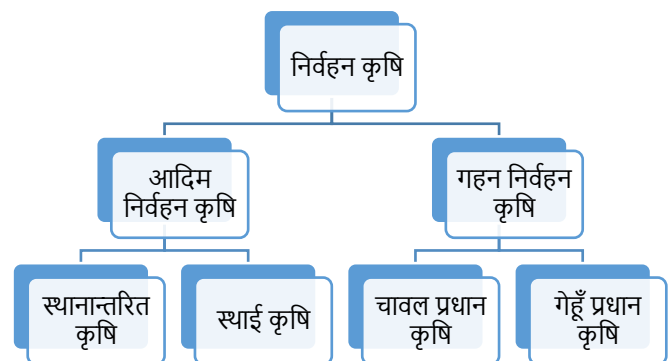
भारत की प्राकृतिक दशा, जलवायु, मिट्टी में पर्याप्त भिन्नता के कारण देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार की कृषि की जाती है।

भारत में मुख्यतः निम्न प्रकार की कृषि प्रचलित है।

(i) निर्वहन कृषि (ii) व्यापारिक कृषि

(i) निर्वहन कृषि-

- ✓ भारत में जीवन निर्वहन कृषि एक परम्परागत कृषि विधि रही है।
- ✓ स्वतंत्रता पूर्व से यह जीवन निर्वहन करने वाली एक गहन कृषि के रूप में प्रचलित थी। उस समय किसान की जोत का आकार छोटा था और बैलों की सहायता से हल चलाकर खेती करता था।
- ✓ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता था।
- ✓ कृषि का मुख्य उद्देश्य परिवार की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति करना ही रहता था।
- ✓ पशुपालन भी निर्वहन कृषि का एक मुख्य अंग है। निर्वहन कृषि भी निम्न प्रकार की होती है-



(A) आदिम निर्वहन -

आदिम निर्वहन कृषि को दो प्रकार में विभक्त किया जाता है।

(i) स्थानान्तरित कृषि :

- ✓ स्थानान्तरित कृषि आज भी भारत वर्ष के कई क्षेत्रों में वनवासियों द्वारा आदिम कालीन ढंग से निर्वहन कृषि के रूप में की जाती है।

पिसीकल्चर

मत्स्यपालन

सेरीकल्चर

रेशम उद्योग

भारत की फसल ऋतुएँ

- भारत की फसलों को जलवायु के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया गया है।

1. खरीफ

- यह वर्षा काल की फसलें हैं, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारम्भ जून - जुलाई के साथ बोई जाती हैं तथा सितम्बर - अक्टूबर तक काट ली जाती हैं।
- इसमें उष्णकटिबन्धीय फसलें शामिल हैं, जिसके अन्तर्गत चावल, ग्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सनई, तम्बाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि की कृषि की जाती है।

2. रबी

- यह फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है।
- इस समय का तापमान शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धीय फसलों के लिए सहायक होता है।
- इस ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है।
- इसके अन्तर्गत शामिल प्रमुख फसलें - गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि हैं।

3. जायद

- जायद एक अल्पकालिक एवं ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात् अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है।
- इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियों तथा खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की कृषि की जाती है।
- यद्यपि इस प्रकार की पृथक् फसल ऋतुएँ देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती। यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबन्धीय फसल (Tropical Crop) की बुआई में सहायक है, इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए।
- इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल तीन बार उगाई जा सकती है।

उपयोग के आधार पर विभाजन

- खाद्यान्न फसलें : चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें।
- बागानी फसलें : चाय, कहवा, तम्बाकू
- नगदी फसलें : गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, राई, सरसों
- रेशेदार : कपास एवं जूट

प्रमुख फसलें

भारत में प्रमुख फसलों की कृषि

चावल -

- चावल भारत के प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है।
- यह देश के तीन चौथाई मनुष्यों का भोज्य पदार्थ है।
- विश्व उत्पादन का लगभग 19 प्रतिशत चावल भारत से प्राप्त होता है।
- रूसी विद्वान वेविलोव के अनुसार चावल का मूल स्थान भारत है, जहाँ से इसका प्रसार पूर्व की ओर चीन तक 3000 ई.पू. तक हो चुका था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा व समकालिक सभ्यताओं में भी चावल के अवशेष मिले हैं।
- वैदिक काल में चावल धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यों में उपयोग लिया जाता है।

भौगोलिक दशाएँ

तापमान :

चावल उष्णकटिबन्धीय पौधा है। यह $19^{\circ}C$ से कम तापमान में पैदा नहीं हो सकता। बोते समय $20^{\circ}C$ तापमान, पकने के समय $27^{\circ}C$ की आवश्यकता होती है।

वर्षा :

खेतों में 75 दिनों तक पानी भरा रहना चाहिए। 100 सेमी से 200 सेमी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। इससे कम होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है।

मिट्टी :

चावल कृषि हेतु जलोढ़ चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम है जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में तथा तटवर्ती भागों में मिलती है।

- भारत में चावल की 200 किस्में मिलती हैं। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बाँनी प्रजाति 'जया' थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र कटक (ओडिशा) में हैं।
- वर्तमान समय में चावल की अधिक उपज देने वाली कई किस्में विकसित की गई हैं, ये हैं IR-8, IR-20 साकेत, सरजू, महसूरी, गोविन्द, पूसा-2-21, गौरी, श्वेता, चिंगम, धनु, RH-204, GR8, साबरमती, पूसा-33, रत्ना, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, तेलाहम्सा, हम्सा, बाला, PLA, I. किरन आदि। कीट रोधी किस्में-IET-144, बाला एवं N-2 हैं।
- कृष्णा - गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के 'चावल के कटोरे' के नाम से भी जाना जाता है।
- वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन (आनुवांशिक परिवर्तन) करके विटामिन की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है, इस चावल का नाम 'गोल्डन राइस' रखा गया है।

- विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 22 अक्टूबर, 2008 को की गई।
- भारत सरकार ने उदारीकृत आर्थिक नीतियों के तहत स्वदेशी विमान सेवाओं में 49% एवं हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति प्रदान की है।
- निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा केरल के कोचीन में निर्मित किया गया है।
- एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद 27 अगस्त 2007 को भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लि. आधिकारिक अस्तित्व में आयी। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है।
- केन्द्र सरकार ने दिल्ली एवं मुंबई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का दायित्व क्रमशः जी.एम. आर. फ्रापोर्ट एवं जी.वी.के.एस. सीएसए नामक निजी कम्पनियों को प्रदान कर दिया है।

अध्याय - 13

भारत की जनगणना

जनगणना का इतिहास

- सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन (1749) में हुई थी।
- सर्वप्रथम दशकीय जनगणना यूएसए (1890) में हुई थी।
- ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना लॉर्ड मेयो (1872) ने करवाई थी।
- प्रत्येक 10 वर्ष के अन्तराल पर नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन (1881) के काल में प्रारम्भ हुई।
- 15वीं जनगणना-2011 का नारा हमारी जनगणना, हमारा भविष्य था।
- साक्षरता दर मापन का आय वर्ग 7 वर्ष है।
- जनगणना-2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉ. सी. चन्द्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ।

जनगणना-2011

- भारत की स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी।
- भारत की 15 वीं जनगणना थी।
- 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी।

जनसंख्या

- महान विभाजक वर्ष (1911-21) (-0.31%)
- महाविस्फोट काल (1951-81)
- भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है।
- भारत की जनसंख्या में 2001-2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% है।
- भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है।
- जनगणना
 - जनगणना केन्द्र सूची का विषय है।
 - अधिनियम 1948 के तहत जनगणना होती है।
 - अनुच्छेद 246 में जनगणना का प्रावधान है।
 - जनगणना कराने का दायित्व केन्द्र सरकार का है।
- भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि - 24.80% (1961-71) में हुई।
- 1911-21 के दशक में जनसंख्या में हास की स्थिति आयी, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था।

- नगरीकरण की दृष्टि से भारत मध्यम-निम्न नगरीकृत देश है।
- जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है।
- 2001 की जनगणना का कार्य जयत कुमार बंठिया के कार्यकाल में हुआ था।
- जनगणना-2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के कुरुंगकुम (111.01%) और यमन (77.15%) हैं।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य (राजस्थान) है।
- सबसे बड़ा केन्द्रशासित प्रदेश अंडमान व निकोबार है।
- सबसे छोटा केन्द्रशासित प्रदेश (लक्षद्वीप) है।
- सबसे छोटा राज्य गोवा है।

शीर्ष जनसंख्या

क्रम संख्या	राज्य	जनसंख्या (करोड़ में)
1.	उत्तर प्रदेश	19.981 (16-51%)
2.	महाराष्ट्र	11.237 (9.28%)
3.	बिहार	10.409 (8.60%)

जनसंख्या (केन्द्रशासित प्रदेश)

केन्द्रशासित प्रदेश	जनसंख्या (करोड़ में)
दिल्ली	1,67,87,941
पुदुचेरी	12,47,953
चण्डीगढ़	10,55,450

- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य (उत्तर प्रदेश) है।
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केन्द्रशासित प्रदेश (दिल्ली) है।
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे केन्द्रशासित प्रदेश (लक्षद्वीप) है।
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य (सिक्किम) है।
- देश का प्राकृतिक संवृद्धि दर 14.4 है।
- शीर्ष प्राकृतिक संवृद्धि दर वाले चार राज्यों का क्रम इस प्रकार है- बिहार (21.0) > उत्तर प्रदेश (19.5) > राजस्थान (19.1) > मध्य प्रदेश (18.4)।
- न्यूनतम प्राकृतिक संवृद्धि दर वाले चार राज्यों का क्रम इस प्रकार है- गोवा (6.4) > केरल (7.8) > तमिलनाडु (8.3) > त्रिपुरा एवं पंजाब दोनों में (9.0)

- संघीय क्षेत्रों में शीर्ष और न्यूनतम प्राकृतिक संवृद्धि दर क्रमशः दादर और नगर हवेली (31.0) तथा लक्षद्वीप (8.5) का है।
- शीर्ष मृत्यु दर वाले चार राज्य क्रमशः ओडिशा (8.4), मध्य प्रदेश (8.0), छत्तीसगढ़ (7.9), असम (7.8) हैं।
- न्यूनतम मृत्यु दर वाले चार राज्य क्रमशः नागालैण्ड (3.1), मणिपुर (4.0), दिल्ली (4.1) एवं मिजोरम (4.3) हैं।
- भारत में उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले चार राज्य क्रमशः असम एवं मध्य प्रदेश दोनों में (54), ओडिशा (51) एवं उत्तर प्रदेश (50) हैं।
- न्यूनतम मृत्यु दर वाले चार राज्य क्रमशः गोवा (9) मणिपुर (10), केरल (12) एवं नागालैण्ड (18) हैं।
- जनसंख्या वृद्धि दर = संशोधित जन्म दर - संशोधित मृत्यु दर
- भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की उम्र को प्रजनन काल कहा जाता है।
- वर्ष 2013 में सकल प्रजनन दर 2.3 था।
- राष्ट्रीय जन्म दर - 21.4 थी।
- राष्ट्रीय जन्म-दर

क्र.स	सर्वाधिक	न्यूनतम
1.	बिहार (27.6%)	गोवा (13.0%)
2.	उत्तर प्रदेश (27.2%)	त्रिपुरा (13.7%)
3.	मध्य प्रदेश (26.3)	केरल (14.7%)

- जनसंख्या और संसाधन सम्बन्ध पर व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय राबर्ट माल्थस को है।
- प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धान्त का प्रथम प्रतिपादक माल्थस था।
- सर्वाधिक साक्षरता - केरल (94.0%)
- सबसे कम साक्षरता - बिहार (61.8%)।
- सर्वाधिक साक्षरता वाला केन्द्रशासित प्रदेश- लक्षद्वीप (91.8%)
- सबसे कम साक्षरता वाला केन्द्रशासित प्रदेश - दादर व नगर हवेली (76.2%)
- 1951 में भारत की साक्षरता दर - 73% थी।
- न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले नागालैण्ड के लांगलेग (-58.39%) एवं किफरे (-30.50%) हैं।
- सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य/केन्द्रशासित राज्य दादरा व नगर हवेली (55.9%) और दमन व द्वीव (53.8%) हैं।
- न्यूनतम जनसंख्या वाले दो जिले क्रमशः अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी (7948) और अंजाव (2108) हैं।

बिहार का भूगोल

अध्याय - 1

भौगोलिक आकृति एवं विस्तार

बिहार की भौगोलिक स्थिति

- बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है।
- बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर, 2000 को झारखंड के पृथक् होने के बाद आया है।
- वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर (36,357 वर्ग मील) है।
- इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल 92358.40 वर्ग किमी तथा शहरी क्षेत्रफल 1804.60 वर्ग किमी है।
- यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वाँ बड़ा राज्य है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,31,04,637 है।
- जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का तीसरा बड़ा राज्य है।
- बिहार का भौगोलिक विस्तार 24°21'10" से 27°31'15" उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 83°19'50" से 88°17'40" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर है।
- गंगा-हुगली नदी मार्ग बिहार को समुद्र से जोड़ता है। बिहार की समुद्र तल से ऊँचाई 173 फीट (लगभग 53 मी.) है तथा समुद्र तट से दूरी लगभग 200 कि.मी. है।

बिहार की सीमा रेखा

- बिहार के पूर्व में - पश्चिम बंगाल स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार हैं।
- बिहार के पश्चिम में - उत्तर प्रदेश स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के सर्वाधिक 8 जिले रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण हैं।
- बिहार के उत्तर में - नेपाल स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हैं।

- बिहार के दक्षिणी में झारखंड स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले भागलपुर, बाँका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास हैं।
- भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 1750 किमी है। नेपाल अकेले बिहार से 720 किमी लम्बी सीमा बनाता है।

बिहार राज्य के 13 जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में गया एवं जमुई जिला तथा सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला स्थित है। पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूरब में किशनगंज तक विस्तृत है। संपूर्ण राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।

बिहार की भौगोलिक संरचना

- बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री-कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं।
- प्री-कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें धारवाड़ संरचना और विंध्यन संरचना के रूप में बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती हैं।
- दक्षिणी पठारी भाग की प्राचीनतम चट्टानें बृहद पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अंग हैं।
- उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण पर्वत निर्माणकारी अंतिम भू-संचलन अल्पाइन में हुआ है। भौगर्भिक दृष्टिकोण से यह समय मध्यजीव कल्प का काल है।
- मध्यवर्ती गंगा का मैदान चतुर्थ महाकल्प में निर्मित हुआ है। इसका निर्माण आज भी जारी है तथा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी नवीन संरचना का विस्तार है।
- इस प्रकार बिहार के उच्चावच पर संरचना का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में चार प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं -

1. धारवाड़ चट्टान,
2. विंध्यन चट्टान,
3. टर्शियरी चट्टान,
4. क्वार्टरनरी चट्टान

- खड़गपुर की पहाड़ी का विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है तथा इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है। किसी देश या प्रदेश का जलप्रवाह तन्त्र वहाँ की स्थलाकृति और जलवायु से प्रवाहित होता है। बिहार के जलप्रवाह पर भी इन्हीं तत्त्वों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ के जलप्रवाह तन्त्र में अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ हैं। मुख्य नदी गंगा है जो राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व को प्रवाहित होती है। इसमें उत्तर तथा दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ मिलती हैं। कुछ नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलकर दक्षिण और पूर्व में प्रवाहित होती हैं।

अध्याय - 2

बिहार में मृदा संसाधन

मिट्टी के निर्माण में किसी भी स्थान की जलवायु, आर्द्रता, तापमान, स्थलाकृति, प्राकृतिक वनस्पति आदि कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों को क्रियाशील कारक कहा जाता है।

किसी भी क्षेत्र की मिट्टी के निर्धारण में उस क्षेत्र की चट्टानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्षा, आर्द्रता तथा तापमान यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता निर्धारित करती है।

- बिहार राज्य के 90% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदान में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है।
- बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है।
- इस वर्गीकरण का आधार मूल चट्टान, भू-आकृति, भौतिक एवं रासायनिक संरचना है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पायी जाती है-

1. अवशिष्ट मिट्टी- इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों से होता है।
2. प्रवाही या जलोढ़ मिट्टी- इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाये गये अवसादों से होता है।

कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा बिहार की मृदा को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है-

1. उत्तर बिहार के मैदान की मृदा
2. दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा
3. दक्षिणी सीमांत पठार की मृदा

उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा -

- उत्तरी बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी (पश्चिमी चंपारण का पर्वतीय भाग) को छोड़कर मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
- जिसका निर्माण हिमालय से प्रवाहित होने वाली गंडक, बूढी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है।
- शिवालिक क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है।
- इस मिट्टी में अन्नक, लौह अयस्क, क्वार्टज़, फेल्सफार जैसे खनिज बहुतायात में पाए जाते हैं।

उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी को कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा चार उप-वर्गों में बाँटा गया है

1. उप-हिमालय पर्वतपदीय मृदा
2. तराई मृदा
3. बांगर (जलोढ़) मृदा
4. खादर मृदा

1. उप-हिमालय पर्वतपदीय मिट्टी

- यह मृदा चंपारण के उत्तरी-पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है।
- पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की परत पतली होती है, जिस कारण यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मृदा प्राप्त होती है, जिसका रंग हल्का भूरा एवं पीला है।
- इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक आर्द्रता (नमी) पाई जाती है।
- इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान, मक्का, जौ आदि हैं।

2. तराई मृदा

- इस मृदा का विस्तार बिहार में पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक 5-7 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है।
- पर्वतपदीय क्षेत्र में जल के सतत भूमि में रिसाव के कारण यहाँ मृदा में भरपूर मात्रा में आर्द्रता मिलती है।
- इस मृदा में कंकड़ के छोटे कण भी पाए जाते हैं तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है।
- इस मृदा का रंग हल्का भूरा या पीला होता है।
- इस मृदा में चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है।
- यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है।
- इस मृदा को बलसुंदरी मृदा के नाम से भी जाना जाता है।
- इस मिट्टी में मध्यम श्रेणी की उर्वरता पायी जाती है।

3. पुरानी जलोढ़ (बांगर) मृदा

- इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है, जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है।
- इस मृदा का विस्तार मुख्यतः घाघरा-गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है।
- इस मृदा को बलसुंदरी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इस मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है, जिसमें चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है।
- इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक पायी जाती है।
- इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल मक्का, ईख, धान, गेहूँ और तंबाकू है।

4. खादर मृदा

- नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात् छोड़े गए अवसादों से खादर मृदा (नवीन जलोढ़ मृदा) का निर्माण होता है। इस मृदा का रंग गहरा भूरा होता है।
- इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र तथा सहरसा में पाया जाता है।

- इसमें चीका (Clay) की प्रधानता होती है तथा कहीं-कहीं बालू भी अधिकांश मात्रा में मिलती है।
- इस मृदा का विस्तार गंगा घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा की निचली घाटी में है।
- इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है।

दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा -

- यह मृदा गंगा के दक्षिण में पाई जाती है।
- इसका विस्तार गंगा नदी तथा छोटानागपुर पठार के मध्य स्थित है।
- बिहार के दक्षिणी भाग में जलोढ़ मृदा का विस्तार सोन, पुनपुन, फल्गु तथा उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है।

मृदा की संरचनात्मक के आधार पर दक्षिणी बिहार की मृदा चार भागों में वर्गीकृत किया गया है -

1. कगारी मृदा
2. टाल मृदा
3. पुरानी जलोढ़ मृदा
4. बलथर मिट्टी

कगारी मृदा

- यह मृदा नदियों के तट पर तटबंध के रूप में पाई जाती है।
- गंगा नदी के दक्षिणी तट पर, सोन, किऊल, पुनपुन, फल्गु आदि नदियों के किनारे, इस मृदा का विकास हुआ है।
- यह चूना-प्रधान मृदा है।
- इसका गठन हल्का एवं रंग भूरा होता है तथा इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल मकई, जौ, सरसों, मिर्च आदि हैं।

टाल मृदा

- टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है, जो वर्षाऋतु में जल-प्लावित रहता है।
- यह मृदा कगारी मिट्टी के दक्षिण बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है।
- यह भूरे रंग की मोटे कणवाली मृदा है।
- यह मृदा दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

पुरानी जलोढ़ मृदा

- इस मृदा का विस्तार टाल क्षेत्र के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, उत्तरी गया, उत्तरी रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, पटना आदि क्षेत्रों में है।
- यह मृदा बिहार के सर्वाधिक प्रदेश में पाई जाती है तथा इसका रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है।
- इस मृदा में बालू, सिल्ट और चीका का मिश्रण पाया जाता है।

- कुओं से पानी निकालने के लिए डेकली और रहट का प्रयोग किया जाता है, जो नालियों द्वारा खेतों तक पहुँचता है।
- कुओं से सिंचाई का काम केवल 2 प्रतिशत तक रह गया है, कुछ मैदानी भागों में सिंचाई के लिए कुँए का प्रतिशत अधिक है। इनमें दरभंगा, मधुबनी और पश्चिमी चम्पारण जिले प्रमुख हैं।
- दक्षिण के मैदानी भागों में उत्तर के मैदानी भाग में नवादा, नालन्दा, गया और जहानाबाद जिले प्रमुख हैं।

बिहार राज्य में सर्वाधिक सिंचाई अरवल, रोहतास, जमुई, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सिवान, जिले में होती है जो कि 70% से अधिक है। 50% से 70% के बीच में पटना, गया, बाँका, औरंगाबाद, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शिवहर, आते हैं। 50% से कम सिंचाई वाला क्षेत्र सुपौल सहरसा अररिया कटिहार किशनगंज पूर्णिया समस्तीपुर मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खगड़िया और नवादा हैं।

❖ बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना

कोसी परियोजना

- भारत और नेपाल सरकार की यह संयुक्त जल परियोजना है।
- कोसी परियोजना के निर्माण के लिए भारत और नेपाल सरकार के मध्य वर्ष 1954 में नेपाल के साथ एक समझौता किया गया, जिसे वर्ष 1961 ई. में पुनः संशोधित किया गया।
- कोसी परियोजना के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, भूमि संरक्षण आदि हैं।
- कोसी नदी सर्वप्रथम चतरा गार्ज के पास पर्वत को काटकर मैदान में प्रवेश करती है। कोसी परियोजना में मुख्यतः दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है:-

1. पूर्वी कोसी नहर प्रणाली,
2. पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली।

पूर्वी कोसी नहर प्रणाली

- इस नहर प्रणाली से नेपाल एवं बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में सिंचाई की जाती है।
- पूर्वी कोसी नहर पर कटैया में 20 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है।
- पूर्वी नहर प्रणाली द्वारा लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई 44 Km है तथा इसकी 4 शाखाएँ हैं —

- मुरलीगंज नहर-लंबाई 64 Km,
- जानकीनगर नहर- लंबाई 82 Km,
- पूर्णिया (बनमंखी) नहर- लंबाई 64 Km,
- अररिया नहर-लंबाई-52 Km

पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली —

- इस नहर की लंबाई 115 Km है। इस नहर से बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है।
- पूर्वी नहर प्रणाली द्वारा लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है

गंडक परियोजना

- गंडक नदी परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
- वर्ष 1959 ई. के समझौते के आधार पर नेपाल को भी गंडक परियोजना से लाभ मिल रहा है।
- इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर (बिहार) में त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बाँध निर्मित किया गया है।
- यह बाँध बिहार तथा नेपाल में विस्तृत है, इसलिए इसे त्रिवेणी नहर प्रणाली भी कहते हैं।
- त्रिवेणी नहर का निर्माण 1903 में पश्चिमी चम्पारण में भारत-नेपाल सीमा पर गण्डक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ।
- इसकी कुल लम्बाई 1.094 किमी है और पश्चिमी चम्पारण जिले की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के अंतर्गत दो मुख्य नहर का निर्माण किया गया है —

पूर्वी त्रिवेणी नहर —

- इसे तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है, इस नहर की कुल लंबाई 293 Km है तथा तिरहुत नहर द्वारा लगभग 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है।
- इस नहर द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों में सिंचाई होती है।

पश्चिमी त्रिवेणी नहर —

- पश्चिमी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई 200 Km है, जो नेपाल में 19 Km, उत्तर प्रदेश में 112 Km तथा बिहार में 69 Km भाग में विस्तृत है।
- इस नहर को सारण नहर के नाम से भी जाना जाता है तथा इस नहर प्रणाली द्वारा लगभग 4.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

के दौरान दशकीय वृद्धि में कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है।

- 2001-2011 में दर्ज 17.7 प्रतिशत अखिल भारतीय दर से बिहार की वृद्धि दर अधिक है।

जनसंख्या घनत्व

- 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में यह घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।
- तात्पर्य यह कि 2011 में प्रति वर्ग किलोमीटर में 225 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है।
- 1,880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला जिला शिवहर है।
- उसके बाद पटना (1,823) तथा दरभंगा (1,728) का स्थान आता है, जबकि कैमूर (भभुआ) जिला में दर्ज 488 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के कारण सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है।

सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले

शिवहर	1880
पटना	1823
दरभंगा	1728
बैशाली	1717
बेगुसराय	1549

न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले

कैमूर	488
जमुई	568
बांका	674
प. चंपारण	753
रोहतास	763

अनुसूचित जाति जनसंख्या

- 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या (1,65,67,325) है, जो 2001 जनगणना में दर्ज 15.7 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।
- अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार) में 86,06,253 पुरुष और 79,61,072 स्त्रियाँ हैं तथा 1,53,44,215 ग्रामीण और 12,23,110 नगरीय जनसंख्या है।
- जिलों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की 30.39 प्रतिशत जनसंख्या के साथ गया जिला का सर्वोच्च स्थान है, जबकि किशनगंज में अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत 6.69% है।

सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले

गया	1334351
पटना	920918
समस्तीपुर	803128
मुजफ्फरपुर	751975
बैशाली	738031

न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले

शिवहर	96655
किशनगंज	113118
शेखपुरा	131115
अरवल	141314
लखीसराय	153209

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

- अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) 13,36,573 में 6,82,516 पुरुष और 6,54,057 स्त्रियाँ हैं तथा इनकी कुल जनसंख्या में से 12,70,851 ग्रामीण और 65,722 नगरीय जनसंख्या है।
- जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या का 1.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, जबकि 2001 जनगणना में यह 0.9 प्रतिशत था।
- जिलों के अन्तर्गत प० चम्पारण में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक 6.35 प्रतिशत है, जबकि खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद जिलों में सबसे कम 0.04 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले

प. चंपारण	250046
कटिहार	179971
पूर्णिया	134990
बांका	90432
सिवान	87000

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले

प. चंपारण	6.6%
कटिहार	5.9%
जमुई	4.5%
बांका	4.4%
पूर्णिया	4.3%

संविधान सभा

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है।

क्रिप्स मिशन

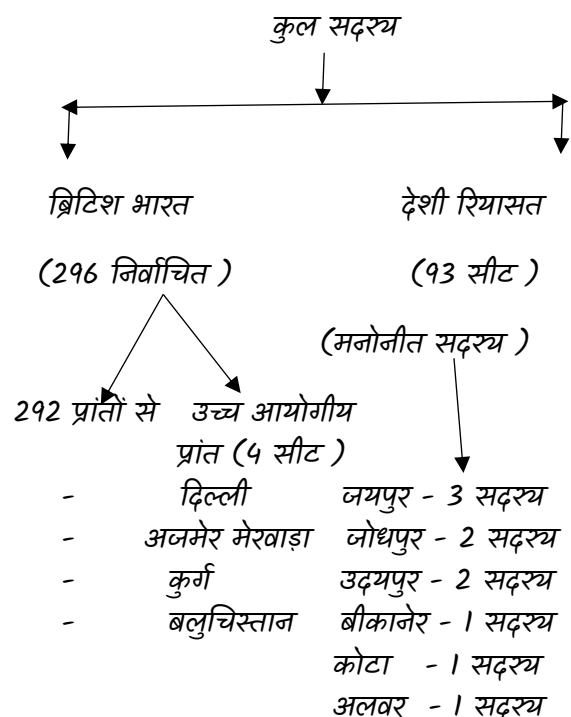
- क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया । जो एक सदस्यीय आयोग था ,जिसने संविधान सभा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जो लागू नहीं हो सकी ।
- 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया -
- लॉर्ड सर पैथिक लारेंस (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था -
- संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी । इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था । यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) ।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार किया जाना था।
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था । स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निर्मांकित सभा थी । उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए । इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली । देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थीं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे ।

- 9 दिसम्बर 1946 ई. को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय (संसद भवन के केंद्रीय कक्ष) में हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तथा डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को इस दिन सर्व सम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया ।
- 11 दिसम्बर 1946 ई. को दूसरी बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के नेता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया , जो की अन्त तक इसके अध्यक्ष बने रहे ।

निर्वाचन पद्धति :- एकल संक्रमणीय वयस्क मताधिकार पद्धति



उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेन्द्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए।
 - भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
 - इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
 - भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होगी।
 - अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
 - देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।
 - भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।
- इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया।

प्रमुख वाचन:-

प्रथम वाचन - 4. nov. 1948 से 9 nov. 1948

द्वितीय वाचन - 15 nov 1948 से 17 oct. 1949

तृतीय वाचन - 14 nov. 1949 से 26 nov. 1949

संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था।

संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

Note :- संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी इनमें से एक था - स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था, देश के लिए आम कानून लागू बनाना। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।

जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर तथा जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानंद सिन्हा
 अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
 उपाध्यक्ष - डॉ. एच. सी मुखर्जी,
 वी.टी. कृष्णामाचारी

- ❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना।
- 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठकें हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	- पं . जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	- पं जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	- सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति	- डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति	- सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	- जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति	- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

अध्याय - 3

सम्पूर्ण अनुच्छेद

भाग-1 : संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

अनुच्छेद 1. संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ।

अनुच्छेद 3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।

अनुच्छेद 4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद के अधीन बनाई विधियाँ ।

भाग-2 : नागरिकता

अनुच्छेद 5. संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता

अनुच्छेद 6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 7. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार ।

अनुच्छेद 9. विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता न होना।

अनुच्छेद 10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

अनुच्छेद 11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

भाग-3 : मूल अधिकार

अनुच्छेद 12. राज्य की परिभाषा ।

अनुच्छेद 13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।

समता का अधिकार

अनुच्छेद 14. विधि के समक्ष समता ।

अनुच्छेद 15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ।

अनुच्छेद 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।

अनुच्छेद 17. अस्पृश्यता का अंत ।

अनुच्छेद 18. उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19. वाक्- स्वातंत्र्य अधिकारों का संरक्षण।

अनुच्छेद 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि (एक अपराध के लिए एक बार सजा) के सम्बन्ध में संरक्षण ।

अनुच्छेद 21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।

अनुच्छेद 21 (क) शिक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी (24 घण्टे में न्यायालय में पेश) और निवारक निरोध से संरक्षण ।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम (मानव क्रय - विक्रय पर रोक) का प्रतिषेध ।

अनुच्छेद 24. कारखानों आदि में बालकों (बालश्रम की मना) के नियोजन का प्रतिषेध ।

संस्कृति, शिक्षा संबंधित अधिकार

अनुच्छेद 29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

अनुच्छेद 31. पहले यह सम्पत्ति का अधिकार था। वर्तमान में इसे हटा दिया गया है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 32. इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार ।

अनुच्छेद 33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि के लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि की प्रवृत्ति होती है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन होता है।

अनुच्छेद 35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान ।

भाग-4 : राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व

अनुच्छेद 36. राज्य की परिभाषा।

अनुच्छेद 37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना।

अनुच्छेद 38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा।

अनुच्छेद 39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व (समान काम के लिए समान वेतन) ।

अनुच्छेद 233. (क) कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिये गये निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण।

अनुच्छेद 234. न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों को भर्ती

अनुच्छेद 235. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।

अनुच्छेद 237. कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना।

भाग-7

अनुच्छेद 238. पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य।

भाग-8 : संघ राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 239. संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।

अनुच्छेद 239. (क) कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन।

अनुच्छेद 239. (क) (क) दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 239. (क) (ख) संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।

अनुच्छेद 239. (ख) विधानमंडल के विप्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक राज्यपाल की शक्ति।

अनुच्छेद 240. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।

अनुच्छेद 241. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय।

भाग-9 : पंचायती राज

पंचायती राज से संबंधित मुख्य अनुच्छेद

अनुच्छेद 243. - परिभाषाएँ

अनुच्छेद 243. A - ग्राम सभा एवं ग्राम सभा के कार्य

अनुच्छेद 243. B - ग्राम पंचायतों का गठन

अनुच्छेद 243. C - पंचायतों की संरचना

अनुच्छेद 243. D - स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 243. E - पंचायतों की अवधि, आदि। कार्यकाल 5 वर्ष एवं विघटन हो जाने की दशा में छः माह के अन्दर चुनाव।

अनुच्छेद 243. F - सदस्यता के लिए निरर्हताएँ। योग्यता

अनुच्छेद 243. G - पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 243. H - पंचायतों द्वारा (कर लगाने की शक्ति) कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ।

अनुच्छेद 243. I - वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।

अनुच्छेद 243. J - पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा।

अनुच्छेद 243. K - पंचायतों के लिए निर्वाचन। (राज्य निर्वाचन आयोग का गठन)

अनुच्छेद 243. L - संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना।

अनुच्छेद 243. M - इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।

अनुच्छेद 243. L- विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।

अनुच्छेद 244. O - निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

भाग - 9 (क) नगरपालिकाएँ

अनुच्छेद 243 त. परिभाषाएँ

अनुच्छेद 243 थ. नगरपालिकाओं का गठन

अनुच्छेद 243 द. नगरपालिकाओं की संरचना।

अनुच्छेद 243 ध. वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना

अनुच्छेद 243 न. स्थानों का आरक्षण।

अनुच्छेद 243 प. नगरपालिकाओं की अवधि, आदि

अनुच्छेद 243 फ. सदस्यता के लिए निरर्हताएँ।

अनुच्छेद 243 ब. नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।

अनुच्छेद 243 भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ।

अनुच्छेद 243 म. वित्त आयोग।

अनुच्छेद 243 य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा।

अनुच्छेद 243 य - क. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन।

अनुच्छेद 243 य-ख. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्वाचन।

लाभ	हानि
समय पर निर्णय।	निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं।
सरकार मजबूती से निर्णय लेती है।	विवेचना के बाद भी प्रायः निर्णय नहीं लिए जाते।
प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं।	अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं।

• केंद्रीय मंत्रिपरिषद्

अनुच्छेद 74 और 75, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रावधानों से संबंधित हैं। ये विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं:

मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल

- राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। किन्तु, मंत्रिपरिषद् द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा।
- मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है एवं सामान्यतः राष्ट्रपति इसका समर्थन करता है। एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक मंत्री बना रह सकता है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जब संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद प्राप्त करता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है।
- प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91 वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया है।
- संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, यदि दलबदल के आधार पर संसद की

सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद हेतु भी अयोग्य होगा। इस प्रावधान को भी, 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया है।

- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
- मंत्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।
- मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा जब तक संसद भत्ते का निर्धारण नहीं करती, तब तक वे भत्ते उसी प्रकार निर्धारित होंगे जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। परंतु, वह उस सदन में मत नहीं दे सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है।

मंत्रिपरिषद् की संरचना

मंत्रिपरिषद् में सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं:

- कैबिनेट मंत्री:-** कैबिनेट मंत्री वे हैं जिनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रक्षा, गृह, वित्त, विदेश आदि मंत्रालय होते हैं। वे पद, वेतन और शक्तियों में सर्वोच्च होते हैं। इन्हीं मंत्रियों से मंत्रिमंडल का गठन होता है। इन्हें धुरी (मंत्रिपरिषद्) के भीतर एक धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, लेकिन शायद ही भी बीस से अधिक होती है। कैबिनेट मंत्री सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों के निर्माण और मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में भाग लेने के हकदार हैं। कभी, कभी, वरिष्ठ नेताओं को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है।
- राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार):-** यह एक राज्य मंत्री है जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता है। इन्हें मंत्रालय/विभागों के स्वतंत्र प्रभार सौंपे जाते हैं। जब उसके विभाग से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंडल की कार्यसूची में होता है तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- राज्य मंत्री:-** इस मंत्री के पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है, वही उसे कार्य आवंटित करता है।
- उपमंत्री:-** ऐसा मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस

2. नगरपालिका बोर्ड तृतीय श्रेणी 25 हजार से 50 हजार
3. नगरपालिका बोर्ड चतुर्थ श्रेणी - 25 हजार से कम जनसंख्या

NOTE-

- तीनों संस्थाओं में कोई पदेन सदस्य नहीं होता है।
- राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम में 6. प्रत्येक नगर परिषद् में 5 तथा नगर पंचायत में 4 सदस्यों को मनोनीत करती है।
- मनोनीत पार्षदों को भी मत देने का अधिकार होता है लेकिन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के चुनाव तथा उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है।
- मनोनीत पार्षद के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित नगरपालिका का मतदाता हो।
- तीनों संस्थाओं की बैठक 60 दिनों में एक बार अनिवार्य है।
- इन तीन संस्थाओं की गणपूर्ति 1/3 होती है।
- अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाओं के भाँति हो है।
- तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षद अपना इस्तीफा जिलाधीश को देते हैं।

छावनी बोर्ड

- छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 में लाया गया जिसमें वर्ष 2006 में संशोधन किया गया।
- छावनी बोर्ड केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं।
- छावनी बोर्ड में निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं।
- निर्वाचित जनता से तथा मनोनीत सेना से।
- छावनी बोर्ड का अध्यक्ष सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है तथा इसका उपाध्यक्ष जनता से निर्वाचित होता है।
- जनता से निर्वाचित उपाध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है जबकि अध्यक्ष व कुछ सदस्य सैन्य छावनी से मनोनीत होते हैं।
- वर्तमान में देश में कुल 62 छावनी बोर्ड हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अन्तिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा, केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी।

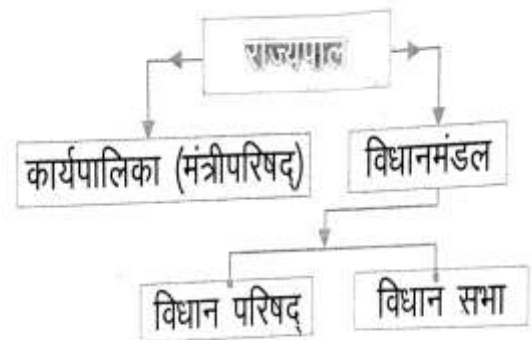
बिहार की राजव्यवस्था

अध्याय - 1

राज्यपाल

बिहार की राज्य सरकार तीन इकाइयों में विभाजित है।

1. कार्यपालिका
2. विधायिका
3. न्यायपालिका



- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल के पद व अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक में किया गया है।
- राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही संचालित होता है। इस सन्दर्भ में राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, किन्तु फिर भी वह मंत्रीपरिषद् की सलाह से कार्य करता है।
- सामान्यतः भारत में एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार किसी एक व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है।

राज्यपाल पद के लिए योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी उम्र कम-से-कम 35 वर्ष हो।
3. वह राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या दोनों के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो।
4. वह भारतीय संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो।
5. वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।

6. राज्यपाल पद पर चयनित होने के लिए उसे राज्य विधान सभा के सदस्य की सभी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।

राज्यपाल की नियुक्ति

- राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होता है।
- राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।
- राजपाल को निःशुल्क आवास भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं।
- अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के वेतन, अधिकारों एवं सुविधाओं को उसकी पदावधि तक कम नहीं किया जा सकता है।
- राज्यपाल को 3 लाख 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे अधिक वेतन है।

राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसको वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।

राज्यपाल के अधिकार

- भारतीय संविधान राज्यपाल को कार्यपालिका, वैधानिक, वित्तीय, न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा विशेष परिस्थितियों में विवेकाधिकार भी प्राप्त हैं।

कार्यपालिका संबंधी अधिकार

- राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा विधानसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य राज्यपाल द्वारा ही मनोनीत किया जाता है।
- राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कर सकता है परंतु उसे पद से हटा नहीं सकता।
- राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।
- राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम तथा अध्यादेश जारी करता है।
- राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग है।

- विधानपरिषद् के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोगों में से की जाती है।

वैधानिक अधिकार

- राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है।
- राज्यपाल विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल को धन विधेयक और अनुदान मांगों की सिफारिश करने का अधिकार है।
- विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक या अधिनियम राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही प्रभावी किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 213 से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है और उसके इस अधिकार के प्रयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी किसी विवाद में अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है, परंतु निर्णय लेने से पूर्व राज्यपाल को चुनाव आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है।
- संविधान के अनुच्छेद 352 (1) से राज्यपाल को देश में बाहरी आक्रमण या सैन्य विद्रोह की स्थिति में राज्य में आपातकाल लागू करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है।
- राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। तत्पश्चात वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है।
- राष्ट्रपति शासन**
 - राज्यपाल की अनुसंसा पर राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। व्यवहार में राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य के प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियां प्रदान कर देता है। विधान मंडल की पूरी शक्तियां अस्थाई रूप से केन्द्रीय संसद को मिल जाती हैं।
 - राष्ट्रपति शासन का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का होता है। परन्तु संसद की पूर्व अनुमति से इसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है।
 - राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुसंसा मिले बिना भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है।

विधानसभा के कार्य

- किसी भी राज्य के सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास होता है। परंतु उस कानून को विधान परिषद में पेश किया जाता और विधान परिषद के पास स्वतंत्र अधिकार होता है कि उसमें वह कोई भी संशोधन कर सकती है या फिर उसे 3 महीने के लिए रोक सकती है।
- विधानसभा चाहे तो उस अधिनियम या कानून को दोबारा पारित कर सकती है परंतु विधान परिषद चाहे तो पुनः उस कानून पर कोई संशोधन कर सकती है या फिर उसे 1 महीने तक के लिए रोक सकती है।

संवैधानिक कार्य

- विधानसभा के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का विशेष अधिकार प्राप्त है। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के एक बटे तीन सदस्यों को चुनते हैं उर्मिला विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है लेकिन राज्य कि मंत्री परिषद विधानसभा के लिए उत्तरदायित्व होती है।
- राज्य मंत्री परिषद के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जो कि चुनाव के माध्यम से पारित किया जाता है। विधानसभा किसी भी व्यक्ति को सदन के कार्यों को उल्लंघन करने पर दंड देने का पूर्ण अधिकार रखता है।

वित्तीय कार्य

- धन या वित्तीय संबंधी किसी भी विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है परंतु पारित होने के बाद इसे पुनः विधान परिषद में पेश किया जाता है और विधान परिषद उस विधेयक पर 14 दिन के अंदर कार्य करने के लिए बाध्य है। इसके बाद उस विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और और विधान परिषद के निर्देशानुसार राज्यपाल को उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है।

26 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया।

अवध बिहारी चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के स्थान पर बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं।

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष

1.	रामदयालु सिंह	23 जुलाई 1937 - 11 नवम्बर 1944 तक
2.	बिन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा	25 अप्रैल 1946 - 14 मार्च 1962
3.	लक्ष्मी नारायण सुधांशु	15 मार्च 1962 - 15 मार्च 1967
4.	धनिक लाल मंडल	16 मार्च 1967 - 10 मार्च 1969
5.	रामनारायण मंडल	11 मार्च 1969 - 20 मार्च 1972
6.	हरिनाथ मिश्र	21 मार्च 1972 - 26 जून 1977
7.	त्रिपुरारी प्रसाद सिंह	28 जून 1977 से 22 जून 1980
8.	राधानंदन झा	24 जून 1980 - 1 अप्रैल 1985
9.	शिव चन्द्र झा	4 अप्रैल 1985 - 23 जनवरी 1989
10.	मोहम्मद हिदायतुल्ला खां	27 मार्च 1989 - 19 मार्च 1990
11.	गुलाम सरवर	20 मार्च 1990 - 9 अप्रैल 1995
12.	देव नारायण यादव	12 अप्रैल 1995 - 6 मार्च 2000
13.	सदानन्द सिंह	9 मार्च 2000 से 28 जून 2005
14.	उदय नारायण चौधरी (दो बार)	30 नवम्बर 2005 - 29 नवम्बर 2015
15.		
16.	विजय कुमार चौधरी	2 दिसम्बर 2015 - 2022
17.	अवध बिहारी चौधरी	26 अगस्त 2022 से वर्तमान

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

(Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdaK856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.